



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270271
CG-DL-E-18022026-270271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947

No. 802]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सङ्कक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 841(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त तालिका के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (2)	चैनेज/ लंबाई किमी में (3)
एनएच-2 (पुराना एनएच-150)	सेलिंग - तिपाइमुख (मिजोरम / मणिपुर सीमा) (मिजोरम राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 140.000

[फा. सं. एनएच-14013/20/2025-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 841(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
NH-2 (Old NH-150)	Selling- Tipaimukh (Mizoram/ Manipur Border) (in the state of Mizoram)	Km 0.000 to Km 140.000

[F. No. NH-14013/20/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 842(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“17	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44ए, संख्या 54 [किमी 8.00 से किमी 380.00 (आइजोल- तुइपांग खंड) और किमी 42.00 से किमी 164.00 (वैरेन्गटे- सैरांग खंड) को छोड़कर], संख्या 54बी, नया एनएच सं. 6 (वैराबी से ममित तक स्पर सहित) [किमी 0.00 से किमी 62.20 सेलिंग से दुल्ते खंड और किमी 62.200 से किमी 150.000 (दुल्ते से चम्फाई खंड) को छोड़कर], संख्या 102बी [किमी 246.00 से किमी 124.00 (कावलकुलह- तुइवाई खंड) को छोड़कर], 302 [किमी 0.00 से किमी 115.00 (लंगलेई- ल्लाबुंग- कावरपुइचुआ खंड) को छोड़कर], 306ए और नया एनएच सं. 502ए [ज़ोरिनपुई- हमावंग्बू- लोंगमासु ग्रीनफाइल्ड खंड (31.17 किमी) को छोड़कर] के उतने भाग, जो मिजोरम राज्य के भीतर अवस्थित हैं।	मिजोरम राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच-14013/20/2025-पीएडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पणी: -मूल अधिसूचना सं. का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार संशोधन सं. का.आ.444 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 842(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“17	So much of National Highways No.44A, No. 54 [excluding from km 8.00 to km 380.00 (Aizwal- Tuipang Section) and Km. 42.00 to Km. 164.00 (Vairengte- Sairang section)], No.54B, New NH No. 6 (including spur from Bairabi to Mamit) [excluding from Km. 0.00 to Km. 62.20 Seling to Dulte section and from Km. 62.200 to Km. 150.000 (Dulte to Champhai section)], No. 102B [excluding from Km. 246.00 to Km 124.00 (Kawlkulh – Tuivai section)], 302[excluding from Km. 0.00 to Km. 115.00 (Lunglei- Tlabung- Kawrpuiichhuah section)], 306A and new NH No. 502A [excluding Zorinpui- Hmawngbu- Longmasu Greenfield section (31.17 km)] as are situated within the State of Mizoram.	State Government of Mizoram”.

[F. No. NH-14013/20/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 444 (E), dated the 30th January, 2026.